न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 55/2022 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
आदूराम पुत्र पेमाराम जाति जाट, निवासी सोडियार तहसील धनाउ, जिला बाड़मेर हाल निवासी बरसींगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. अनेकंवर पत्नी सवाईसिंह (शीर्षक से हटाया गया) 2. ओपनसिंह पुत्र सवाईसिंह (शीर्षक से हटाया गया) 3. छोटूसिंह पुत्र सवाईसिंह (शीर्षक से हटाया गया) 4. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सवाईसिंह (शीर्षक से हटाया गया) 5. मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह (शीर्षक से हटाया गया) 6. भंवरसिंह पुत्र गेमरसिंह 7. मूलसिंह पुत्र मंगलसिंह 8. लूणसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुत, निवासी बरसींगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 9. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई शाखा शिव 10. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 04.11.2024

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल स्वामी का गांव के ग्राम बरसींगा के खेत खसरा नम्बर 1 रकबा 13.8888 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	आदूराम पुत्र पेमाराम कौम जाट सा. सोड़ियार तहसील धनाउ खातेदार	बरसींगा	1	6.9444	बा.दो.	–	क्बूतर
2	भूरचंद संखलेचा पुत्र नेमीचंद 1/8 कौम संखलेचा, भंवरसिंह पुत्र गेमरसिंह 1/8, मूलसिंह पुत्र मंगलसिंह 1/8, लूणसिंह पुत्र मंगलसिंह 1/8, छतरसिंह पुत्र बांकसिंह 1/4, मगसिंह पुत्र बांकसिंह 1/4 कौम राजपुत सा. देह खातेदार रहन मूलसिह, लूणसिंह का हिस्सा एसबीआई शाखा शिव	बरसींगा	1	6.9444	बा.दो.	–	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:48:04 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner